आयकर विभाग,शिमला (हि.प्र.)   दूरभाष संख्या 0177-2650758, 2651713,2801577 फैक्स संख्या 2650390

फ.सं:आ०आयु०/शिमला/तक०-I/80-छ/17/2009-10/ 829

कार्यालय
आयकर आयुक्त ,
रेलवे बोर्ड भवन, शिमला ।
दिनांक : 3.6.2009

सेवा में,

मै० योग मानव विकास ट्रस्ट,
बनीखेत, जिला चम्बा ।

विषयः आयकर अधिनियम, 1961की धारा 80छ(5) के अधीन छूट।

कृपया अपने धारा 80छ(5)(vi) मे approval हेतु दायर आवेदन का अवलोकन करें ।

२. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ(5) (1961 की 43) उक्त धारा में निहित सीमाओं एवं शर्तों के अधीन मै० योग मानव विकास ट्रस्ट, बनीखेत, जिला चम्बा को दिया गया दान दानकर्ता द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ (2)(a)(iv) के अन्तर्गत कर में छूट प्राप्त करने योग्य होगा ।

३. यह अनुमोदन धारा 80छ(5)(vi) के तहत दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2012 की अवधि (निर्धारण वर्ष 2010-11 to 2012-13) के लिए वैध है ।

(अखिलेश रंजन)
आयकर-आयुक्त,
शिमला, हि.प्र.।

नोट :

१. दान कर्ताओं को जारी की गई रसीदों पर इस आदेश की संख्या और तारीख अंकित होनी चाहिए तथा यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि यह प्रमाण पत्र उपरोक्त अवधि के लिए वैध है ।
२. संपरीक्षा रिपोर्ट, आय एवं व्यय ब्यौरा, प्राप्ति एवं भुगतान ब्यौरा और तुलन पत्र इत्यादि आयकर विवरिणी समेत प्रतिवर्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 मे निहित अवधि के अन्दर आयकर अधिकारी, डलहौजी, बनीखेत को भेजा जाए ।
३ यदि संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो इस कार्यालय को तुरन्त सूचित किया जाए ।
४. भविष्य में छूट में नवीकरण वांछित हो तो संबंधित निर्धारण अधिकारी के माध्यम से या सीधा ही जरूरी दस्तावेजों, नियम 11AA(1) व (2) मे अपेक्षित दस्तावेज़ों, सहित इस कार्यालय को आवेदन करें ।

प्रतिलिपि प्रेषित है :

1. आवेदक को (पंजीकृत डाक द्वारा)।
2 आयकर अधिकारी, डलहौजी, बनीखेत को। वह आवेदक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि आवेदक/ निर्धारिती धारा 80 छ में दी गई शर्तों एवं बोर्ड द्वारा समय -समय पर जारी अनुदेशों को पालन कर रहा है या नही।
3. आयकर अपर आयुक्त, पालमपुर रैंज, पालमपुर ।
4. आयकर मुख्य आयुक्त, हि. प्र. क्षेत्र, शिमला को सूचनार्थ ।
5. सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दिल्ली को सूचनार्थ ।

(दलजीत सिंह)
आयकर अधिकारी (तकनी.),
शिमला, हि.प्र. ।